राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018

1. भूमिका

1.1 वर्ष 2018–19 के बजट में सहकारी बैंको के लघु एवं सीमांत कृषकों की ओर 30 सितम्बर 2017 को अवधिपार (overdue) ऋण पर समस्त शास्तियों एवं ब्याज एवं लघु एवं सीमांत कृषकों के 30 सितम्बर 2017 तक (outstanding) अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार तक के कर्ज़ की एकबारीय माफ किये जाने के साथ–साथ अन्य कृषकों की ओर 30 सितम्बर 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण, लघु काश्तकारों के लिए निर्धारित जोत सीमा के अनुपात में रूपये 50000/– तक के कर्जे माफ किये जायेगें।

2. योजना का दायरा

2.1 इस योजना में राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक (जिन्हें आगे संक्षिप्त रूप में **"सहकारी बैंक"** कहा जाएगा) द्वारा दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट रूप से लघु और सीमांत किसानों की ओर बकाया दिनांक 30.09.2017 को अवधिपार व अन–अवधिपार बकाया अल्पकालीन फसली ऋण शामिल होंगें।

2.2 यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. परिभाषाएँ

3.1 **'अल्पकालीन फसली ऋण'** से तात्पर्य है कृषि कार्यों के लिए सीधे किसानों को दिए गए अल्पकालीन फसली ऋण एवं सीधे किसानों के समूहों (उदाहरण के लिए स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह) को दिए गए अल्पकालीन फसली ऋण भी शामिल किए जाऐगें, बशर्ते बैंक उस समूह के प्रत्येक किसान को दिए गए ऋण के अलग–अलग आँकड़े रखें।

3.2 **'अल्पकालीन फसली ऋण'** से तात्पर्य है फसलोत्पादन के लिए दिया गया ऋण, जिसकी चुकौती 12 महीने में की जानी अपेक्षित है।

3.3 'सहकारी बैंक' से तात्पर्य केन्द्रीय सहकारी बैंक व प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है।

3.4 **'सीमांत कृषक'** से तात्पर्य एक हैक्टेयर तक भूमि पर खेती (मालिक के रूप में अथवा भाड़े पर या बंटाई पर) करने वाला किसान है।

युक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

3.5 **'लघु कृषक'** से तात्पर्य एक हैक्टेयर से अधिक तथा दो हैक्टेयर तक की भूमि पर खेती (मालिक के रूप में अथवा भाड़े पर या बंटाई पर) करने वाला किसान है।

3.6 'अन्य किसान' से तात्पर्य है दो हैक्टेयर (5 एकड़) से अधिक की भूमि पर खेती (मालिक के रूप में अथवा भाड़े पर या बंटाई पर) करने वाला किसान।

स्पष्टीकरण

I- इस योजना के तहत माफी हेतु लघु, सीमान्त व अन्य कृषक की श्रेणी का आधार **सहकारी बैंकों** की पुस्तकों में दर्ज कृषि भूमि होगी।

इस सम्बन्ध में कोई भी परिवेदना/शिकायत योजना के बिन्दु सं. 9.2 में वर्णित जिला स्तरीय परिवेदना निवारण समिति, जिसका अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलेक्टर की रैंक से नीचे का अधिकारी न हो, के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसके सम्बन्ध में समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

II- एक से अधिक किसानों द्वारा अपनी भूजोत को मिलाकर ऋण लेने के मामले में किसानों के वर्गीकरण (लघु या सीमांत या अन्य कृषक के रूप में) का आधार उस समूह की सबसे बड़ी भूजोत के आकार को बनाया जाएगा।

4. पात्रता

4.1 ऋण माफी राशि (आगे इसे **'पात्र राशि'** कहा जाएगा), में अल्पकालीन फसली ऋण जो 30 सितम्बर 2017 को बकाया (अवधिपार या अनावधिपार) था, सम्मिलित होगा।

4.2 निम्नलिखित ऋण पात्र राशि में शामिल नहीं किए जाएगें :–

(क) खड़ी फसल से इतर कृषि उत्पाद को बंधक या दृष्टिबंधक रखकर लिए गए अग्रिम, और

(ख) सहकारी ऋण संस्थाओं और समान प्रकार की अन्य संस्था से भिन्न किसी कंपनी, साझेदारी फर्म, कारपोरेट को प्रदत्त कृषि ऋण।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

5. ऋण माफी राशि

5.1 लघु व सीमान्त कृषकों की ओर 30 सितम्बर 2017 को बकाया (अवधिपार की स्थिति में) समस्त ब्याज व शास्तियां माफ की जावेगीं।

5.2 लघु और सीमांत कृषकों की ओर 30 सितम्बर 2017 को बकाया अल्पकालीन सहकारी ऋण के विरूद्ध अधिकतम रूपये 50,000/– तक के ऋण माफ (waive) किये जायेगें।

5.3 अन्य कृषकों की ओर 30 सितम्बर 2017 को बकाया (अवधिपार/अनावधिपार) कुल राशि में से लघु कृषक की भूमि जोत सीमा के अनुपात में अधिकतम रूपये 50,000/– माफ किये जायेगें।

6. क्रियान्वयन

6.1 इस योजना के अंतर्गत राज्य की सहकारी बैंकों द्वारा दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट रूप से लघु, सीमांत एवं अन्य कृषकों को वितरित प्रत्यक्ष कृषि ऋण शामिल होंगे।

6.2 सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र (23 कॉलम) में सूचनाएं उपलब्ध करायी जावेंगी।

6.3 सहकारी बैंकों से प्राप्त सूचनाऐं DOIT को सॉफ्टवेयर के डाटाबेस में अपलोड करने हेतु Soft copy में उपलब्ध करवाई जावेंगी जिसे ई–मित्र/पैक्स/सहकारी बैंकों/कृषक द्वारा DOIT सॉफ्टवेयर के माध्यम से SSO id द्वारा access किया जा सकेगा।

6.4 ई–मित्र केन्द्र/पैक्स/सहकारी बैंकों की शाखाओं पर रूपे कार्ड/आधार कार्ड/भामाशाह नंबर के आधार पर कृषक अपने ऋण एवं ऋण माफी राशि की सूचना का सत्यापन कर सकेगा। सत्यापन उपरान्त कृषक निर्धारित प्रारूप में ऋण माफी सूचना सत्यापन प्रपत्र प्राप्त कर सकेंगे।

6.5 सहकारी बैंकों की प्रत्येक शाखा द्वारा DOIT के सॉफ्टवेयर से ऋण माफी के लिए पात्र लघु, सीमांत एवं अन्य कृषकों की रिपोर्ट जनित (generate) की जावेगी जिसमें प्रत्येक मामले में भूमि की जोत, 'पात्र राशि' और प्रस्तावित ऋण माफी संबंधित विवरण होंगें।

6.6 DOIT के सॉफ्टवेयर से जनित (generated) रिपोर्ट का सत्यापन ऋण पर्यवेक्षक एवं शाखा प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

6.7 ऋण पर्यवेक्षक एवं शाखा प्रबन्धक द्वारा सत्यापित की गई रिपोर्ट का परीक्षण निम्न **'जिला स्तरीय कमेटी'** द्वारा किया जावेगाः–

1. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक	–	समन्वयक
2. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	–	सदस्य
3. विशेष लेखा परीक्षक	–	सदस्य
4. संबंधित शाखा प्रबन्धक/सचिव,सहकारी भूमि विकास बैंक	–	सदस्य
5. संबंधित पैक्स व्यवस्थापक/संबंधित शाखा सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक	–	सदस्य

6.8 जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षित सूचियां सहकारी बैंक की शाखा व समिति के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाऐगीं।

6.9 सूची चस्पा की जानकारी दैनिक समाचार पत्र में बतौर समाचार प्रकाशित कर उपलब्ध करवायी जावेगी।

6.10 कृषक द्वारा अपनी आपत्ति ऑनलाईन DoIT के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई–मित्र/शाखा/स्वयं (SSO ID) दर्ज करवाई जा सकेगी व DoIT के सॉफ्टवेयर से जनित परिवेदना संख्या भविष्य संदर्भ हेतु प्राप्त की जावेगी।

6.11 प्राप्त आपत्तियां, (यदि कोई हो तो) जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अधिकतक सात दिवस में निस्तारण कर सूचना DoIT के सॉफ्टवेयर में अपडेट करनी होगी।

6.12 पात्रताधारक ऋणी कृषकों की अन्तिम सूची का प्रकाशन किया जावेगा।

6.13 अन्तिम सूची के आधार पर सहकारी बैंक पुस्तकों में माफी योग्य राशि की प्रविष्ठि कर क्लेम राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जावेंगे।

6.14 प्रविष्ठि उपरान्त संबंधित कृषक के नाम ऋण माफी एवं ब्याज व शास्ति माफी प्रमाण–पत्र जारी किये जावेंगे।

6.15 ऋण माफी प्रमाण–पत्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि के आधार पर कृषक सदस्य पुनः साख सुविधा प्राप्त करने योग्य होगा।

स्पष्टीकरण :–

(1) 30 जून 2018 तक कृषक को माफी योग्य राशि से आधिक्य राशि जमा करानी होगी।

(2) पात्र कृषक की ओर 30 सितम्बर 2017 को बकाया राशि के विरूद्ध माफी योग्य राशि से आधिक्य राशि कृषक द्वारा जमा कराने के उपरान्त ही कृषक पुनः साख सुविधा प्राप्त करने योग्य होगा।

7. ब्याज और अन्य प्रभार

7.1 अवधिपार ऋणी कृषकों के मामले में पात्र राशि पर सहकारी बैंक 30 सितम्बर 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि का ब्याज भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त ब्याज अनुदान को कम करते हुए शेष ब्याज राज्य सरकार से प्रचलित दर जो कि अधिकतम कुल 8 प्रतिशत होगी से प्राप्त किया जावेगा।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

7.2 पात्र राशि के अलावा कृषक की ओर बकाया शेष ऋण राशि पर नियमानुसार ब्याज प्रभारित किया जावेगा जिसका भुगतान कृषक को करना होगा।

8. ऋण माफी प्रमाण–पत्र

8.1 सहकारी बैंक द्वारा निर्धारित ऋण माफी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ऋण माफी प्रमाण–पत्र जारी किये जावेंगे जिसमें कृषक की माफ की गयी पात्र राशि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

8.2 ऋण माफी प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में होगा। सहकारी बैंक द्वारा कैम्प आयोजित कर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किये जावेंगे एवं लाभान्वित कृषक से ऋण माफी प्रमाण पत्र की पावती प्राप्त की जावेगी।

9. सहकारी बैंक के दायित्व

9.1 सहकारी बैंक द्वारा पूर्व में निर्धारित (23 column) प्रपत्र में उपलब्ध करवाई गई पात्र कृषकों की सूची तथा प्रत्येक कृषक के संबंध में ऋण विवरण एवं ऋण माफी की राशी की सत्यता और विश्वसनीयता के लिए जिम्मेदार होगी। ऋण देने वाला सहकारी बैंक इस योजना के उद्देश्य से अनुरक्षित प्रत्येक प्रलेख, तैयार की गई प्रत्येक सूची और जारी किए जाने वाले प्रत्येक प्रमाण–पत्र पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उसका पदनाम अंकित होगा।

9.2 जिला स्तर पर **परिवेदना निवारण समिति** का निम्नानुसार गठन किया जावेगाः–

1. जिला कलेक्टर या उनका मनोनीत प्रतिनिधि
   जो अति.जिला कलेक्टर स्तर का होगा – अध्यक्ष
2. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां – सदस्य
3. प्रबन्ध निदेशक/सचिव, सहकारी बैंक – सदस्य सचिव

9.3 परिवेदना निवारण समिति की सूचना सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा व पंचायत समिति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

9.4 यदि कोई कृषक इस बात से असंतुष्ट हो कि उसका नाम सूची में सम्मिलित नहीं है तो असंतुष्ट कृषक संबंधित शाखा के प्रबन्धक के माध्यम से परिवेदना ऑनलाईन DOIT के सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा। साथ ही कृषक द्वारा परिवेदना निवारण समिति को सीधे भी परिवेदना लिखित में प्रस्तुत की जा सकेगी।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

9.5 परिवेदना निवारण समिति को उभय पक्ष को सुनकर प्राप्त परिवेदना पर समुचित आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

9.6 परिवेदना का निपटारा परिवेदना प्राप्ति तिथि से 30 दिवस के अन्दर करना होगा।

9.7 परिवेदना निवारण समिति द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

10. लेखापरीक्षा

प्रत्येक सहकारी बैंक जिसने इस योजना के अधीन ऋण माफी दी है, उसकी लेखा बहियाँ (शाखाओं के स्तर पर अनुरक्षित लेखा बहियों सहित) निर्धारित कार्यविधि के अनुरूप लेखापरीक्षा के अधीन होंगी। किसी ऋणदाता संस्था के मामले में या उसकी

किसी एक या अधिक शाखाओं की विशेष लेखापरीक्षा के निर्देश राज्य सरकार दे सकेगी यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करना प्रकरण विशेष में आवश्यक है।

11. प्रचार–प्रसार

11.1 इस योजना में शामिल प्रत्येक सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा में इस योजना की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

11.2 इस योजना की एक प्रति सहकारी विभाग एवं शीर्ष सहकारी बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

12. अनुप्रवर्तन

योजना के कार्यान्वयन के अनुप्रवर्तन के लिए एक राज्य स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति का निम्नानुसार गठन किया जायेगाः–

(i)	अति.मुख्य सचिव(वित्त), राजस्थान सरकार	– अध्यक्ष
(ii)	अति.मुख्य सचिव(राजस्व), राजस्थान सरकार	– सदस्य
(iii)	प्रमुख शासन सचिव(सहकारिता), राज. सरकार	– सदस्य
(iv)	प्रमुख शासन सचिव(आयोजना/आई.टी.), राज. सरकार	– सदस्य
(v)	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान	– सदस्य
(vi)	मुख्य अंकेक्षक, सहकारी समितियाँ, राजस्थान	– सदस्य
(vii)	प्रबन्ध निदेशक, शीर्ष सहकारी बैंक,	– सदस्य
(viii)	प्रबन्ध निदेशक, राज.राज्य सह.भूमि विकास बैंक	– सदस्य
(ix)	अति.रजिस्ट्रार(बैंकिंग), सहकारी समितियाँ, राजस्थान	– सदस्य सचिव

13. व्याख्या और कठिनाइयों का निराकरण –

13.1 इस योजना में किसी पैराग्राफ या इस योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश की व्याख्या करने में यदि कोई संदेह होता है, तो राज्य सरकार द्वारा संदेह का समाधान किया जाएगा और इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

13.2 यदि इस योजना के प्रावधानों या योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है, तो राज्य सरकार कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से, उसे जो भी आवश्यक या तत्काल अपेक्षित प्रतीत होगा उसके अनुसार आदेश जारी करेगी।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

13.3 योजना क्रियान्वयन के क्रम में दिशानिर्देश पृथक से जारी किये जावेगें।

14. ऋण माफी राशि का बैंकों को भुगतान

14.1 बैंकों की सीआरएआर के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा ऋण माफी राशि का भुगतान **31 मार्च 2019** तक किया जावेगा।

14.2 राज्य सरकार द्वारा बकाया ऋण माफी राशि पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त ब्याज अनुदान को कम करते हुए शेष ब्याज प्रचलित दर जो कि अधिकतम कुल 8 प्रतिशत होगी की दर से ब्याज राशि दी जावेगी।

15. यह योजना वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के अनुमोदन व सहमति उपरान्त जारी की जाती है।

*****

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर